



2026:AHC:178427

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 5976 वर्ष 2026

श्रीमती उषा देवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आरफी, राम जतन यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मनोज मिश्रा, शशांक मिश्रा

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1- प्रत्यर्थी संख्या 2/प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से आज दाखिल प्रति-शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम जतन यादव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक मिश्रा तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3- इससे पूर्व आवेदक-**श्रीमती उषा देवी** को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2026 के आदेश के माध्यम से वर्तमान मामले में अन्तरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता; सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता श्री हर्ष सिंह, श्री शशांक मिश्रा के पक्ष में पैरवी कर रहे हैं तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 157 वर्ष 2025, धारा 109(1), 352, 351(3), 118(1), 308(2) बी.एन.एस., 2023, थाना जगनेर, जनपद आगरा के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक महिला है। उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। घायल को आई किसी भी चोट को जीवन के लिए खतरनाक नहीं बताया गया है। घायल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अंकित अपने कथन के अनुसार कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कराने से इनकार कर दिया है।

4- सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि गंभीर चोटें कारित की गई हैं। चोट संख्या 3 एक चीरा हुआ घाव है, जिसमें चिकित्सीय परीक्षण के दौरान दाहिने पैर के पाँचवें पैर की उँगली का कुछ भाग गायब पाया गया। आवेदक एवं अन्य अभियुक्त ने घटना में समान रूप से भाग लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के अंतर्गत अपराध स्पष्ट रूप से बनता है और आवेदक को कोई रियायत प्रदान नहीं की जा सकती है।

5- सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, तथापि, तर्क दिया है कि उसे घायल की चिकित्सीय आख्या दाखिल करने के लिए कुछ समय प्रदान किया जाए, जिससे चोटों की प्रकृति और विस्तार प्रदर्शित किया जा सके।

6- माँगा गया समय प्रदान किया जाता है।

7- 28 जुलाई, 2026 को नवीन वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

8- तथापि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अन्तरिम अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

9- उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक-श्रीमती उषा देवी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे अन्तरिम अग्रिम जमानत पर, उसके द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाएगा:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी/उसे भयभीत नहीं करेगी;

10- किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

4- यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इससे पूर्व आवेदक को दिनांक 13.07.2026 के आदेश के माध्यम से अन्तरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी और उक्त आदेश के अनुपालन में आवेदक ने विवेचक के समक्ष जमानत बंधपत्र दाखिल किए हैं। इस मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है, तथापि, आवेदक विवेचना में सहयोग कर रही है। आवेदक एक महिला है और उसके पति तथा एक पुत्र को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वे कारागार में हैं। घायल के कथन के अनुसार, घायल के सिर की संगणित स्तर-चित्रण स्कैन आख्या तैयार नहीं की गई। ऐसी कोई चोट नहीं है जो जीवन के लिए खतरनाक हो। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5- उपर्युक्त के दृष्टिगत, दिनांक 13.07.2026 के आदेश के माध्यम से आवेदक को प्रदान की गई अन्तरिम अग्रिम जमानत एतद्वारा पूर्ण अग्रिम जमानत में परिवर्तित की जाती है। आवेदक विचारण की समाप्ति तक उसी निबंधन एवं शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रहेगी, जो इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.07.2026 के आदेश में दी गई हैं।

6- अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7- दिनांक 13.07.2026 के आदेश में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचक/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।